Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-142/2024]

Smt. Hema Devi & Anr……………………………………………………Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors…………………………………………Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.4.2026	(order below)	

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-36/2022-23 में दिनांक-29.5.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
पूर्णिया पूर्व	मधुबनी/ 123/1	377	2756	2 कट्ठा 19 धूर
		1230	2743	01 धूर

दिनांक 17.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी के द्वारा वर्ष-2003 में निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-8456 दिनांक-09.7.2003 के माध्यम से प्रश्नगत खेसरा में 03 (तीन) कट्ठा जमीन का क्रय किया गया। जिसमें से 920 वर्ग कड़ी जमीन विवादित है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा दो अलग-अलग केवाला दस्तावेज के आधार पर वर्ष-2008 में कुल 04 कट्ठा 2 धूर जमीन का क्रय किया गया। जिसके उपरान्त उनके द्वारा उपरोक्त जमीन को दीवार से घेर कर लगभग 16 वर्षों से दखल में रहते हुए उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के आदेश के उपरान्त अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के स्तर से उनके पत्रांक-2308 दिनांक-01.8.2024 के द्वारा उन्हें विवादित जमीन रकवा 920 वर्ग कड़ी के बजाय कुल रकवा 3 कट्ठा 1 धुर जमीन को खाली करने का आदेश पारित किया गया है। जो गलत है। उनका द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि निम्न न्यायालय में उनके पक्ष को सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश एवं अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के पत्रांक-2308 दिनांक-01.8.2024 द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं.-03 एवं 04 का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-8456 के माध्यम से वर्ष-2003 में किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा नामान्तरण करवाकर जमाबंदी सं.-5288 सृजित करवाया गया। उनका कहना है कि वे जीवन यापन हेतु बाहर रहते हैं, जिस कारण उनकी अनुपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा उनके खरीदगी जमीन का दक्षिण तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके उपरान्त उनके द्वारा अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व में भू-मापी वाद सं.-22/2021-22 दायर किया गया। जिसमें अंचल अमीन द्वारा मापी के उपरान्त दिनांक-28.4.2022 को रिपोर्ट समर्पित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के स्तर से उनके खरीदगी जमीन के दक्षिणी हिस्से से 920 वर्ग कड़ी जमीन का अतिक्रमण किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। कागजातों के आधार पर यह दृष्टिगत हो रहा है कि प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में अपीलार्थी का जमाबंदी सं.-4155 एवं विपक्षी का जमाबंदी सं.-5288 जमाबंदी पंजी में दर्ज है। संदर्भित अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व के भू-मापी अभिलेख सं. -22/2021-22 में रक्षित अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन के दक्षिणी हिस्से से 920 वर्ग कड़ी जमीन का अतिक्रमण किया गया है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष की बीच प्रश्नगत खेसरा की जमीन

	02.4.2026	के मापी/सीमांकन का विवाद है। तथा यह कि उक्त विवाद के समाधान हेतु प्रासंगिक खेसरा/जमीन का मापी-सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। अतः तदनुसार अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व को आदेश दिया जाता है कि अंचल अमीन की टीम बनाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में प्रश्नगत खेसरा/जमीन का मापी एवं सीमांकन करायेंगे। तथा यह कि मापी के अनुरूप विधिमान्य दखल-कब्ज़ा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। मापी में अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन पर अतिक्रमण किये जाने के स्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 02/4/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 02/4/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	